"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2017— फाल्गुन 19 , शक 1938

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च, 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04–18/2016/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 की उप–धारा (1) सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 5 में, अंक तथा शब्द "40 और 60 प्रतिशत" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाये।

2. नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"11. सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया.– (1) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की सूचना, प्रेसीडेन्ट इन कौसिंल द्वारा निम्नलिखित को दी जायेगी,–

(एक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामले में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को;

(दो) नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 94 की उप–धारा (4) में उल्लिखित पदों के लिये कर्मचारियों, राजस्व निरीक्षक/स्वच्छता निरीक्षक/लेखापाल/उप–अभियंता के मामले में, आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को; और

(तीन) किसी अन्य मामले में, जिला चयन समिति को।

(2) यथास्थिति, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जिला चयन समिति उक्त पदों पर चयन हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।

(3) मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जिला चयन समिति, आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु सम्यक् रूप से विज्ञापन जारी करेंगे एवं अभ्यर्थियों का चयन, मेरिट के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) जिला चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों के नाम संबंधित विभागों को भर्ती हेतु भेजेंगे।

(5) राज्य शासन, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से, धारा 94 की उप–धारा (4) में उल्लिखित किन्हीं भी पदों की भर्ती करने का विनिश्चय कर सकेगा,–

(एक) छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार करेगा और तद्नुसार चयनित अभ्यर्थियों के नाम मेरिट सूची के आधार पर, संबंधित विभाग के नियुक्ति अधिकारी को भेजे जायेंगे;

(दो) उपरोक्त तैयार की गई मेरिट सूची, परिणाम के घोषित होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए वैध रहेगी;

(तीन) अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम मेरिट सूची में आये हों;

(चार) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च, 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4–18/2016/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–18/2016/18 दिनांक 10/03/2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 10th March 2017

NOTIFICATION

No. F4-18/2016/18. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961(No. 37 of 1961), the State Government hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Municipal Employees (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1968, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 5, for the figures and words" 40 percent and 60 percent", the figures and words "50 percent and 50 percent" shall be substituted.

2. For rule 11, the fillowing shall be substituted, namely:-

"11. Procedure for Direct Recruitment.- (1) Information of number of vacancies to be filled by direct recruitment shall be given by President in Council,-

(i) in case of Class-IV employees to Chief Municipal Officer;

(ii) in case of employees for the posts mentioned in sub-section (4) of Section 94 of the Municipalities Act, 1961, Revenue Inspector/Sanitary Inspector/ Accountant/ Sub-Engineer, to Commissioner/ Director, Urban Administration and Development;

and

(iii) in any other case, to District Selection Committee.

(2) Chief Municipal Officer, Commissioner/Director, Urban Administration and Development, District Selection Committee, as the case may be, shall initiate the procedure for selection to the said posts.

(3) The Chief Municipal Officer and District Selection Committee shall duly issue advertisement for inviting applications and selection of the candidates shall be made by Selection Committee on the basis of merit.

(4) The District Selection Committee shall send the names of the selected candidates to the concerned departments for recruitment.

(5) The State Government, may decide to recruit any of the posts mentioned in sub-section (4) of Section 94 through the Chhattisgarh Professinal Examination Board,-

(i) the Chhattisgarh Professional Examination Board shall invite application and shall prepare the merit list of candidates on the basis of written examination and accordingly on the basis of merit list the name of selected candidates shall be sent to the Appointing Officer of concerned department;

(ii) the merit list as prepared above shall remain valid for the period of one year from the date of declaration of result;

(iii) appointment of candidates shall be made in the order in which their name appears in the merit list;

(iv) mere incusion of name of any candidate in the selection list does not confer any right of appointment.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.